संख्या-489/78-2-2018-42आई.टी./2017टीसी

प्रेषक,

हरी राम
उप सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश
2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश
3 समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
4 प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,निकायों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी निकायों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 26 जुलाई 2018

विषयः- **उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली विषयक शासनादेश संख्या-256/78-2-2018-42आई.टी./2017, दिनांक 24.04.2018 के प्रस्तर-3 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है:-

शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था	संशोधित/प्रतिस्थापित व्यवस्था
शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए उपरोक्त वित्तीय सीमा रु 1,00,000/- को बढाकर रु 10,00,000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है। रू 1,00,000/- से अधिक मूल्य के सामान/ सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनदेश दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत, पूर्व की भांति यथावत् रहेगी तथापि रू 10.00 लाख तक की निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।	शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं के लिए उपरोक्त वित्तीय सीमा रु 1,00,000/- को बढाकर रु 10,00,000/- किये जाने का निर्णय लिया गया है। रू 1,00,000/- से अधिक मूल्य के **सभी निर्माण कार्यो /** सामान/सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय, चालू अनुबन्ध एवं दर अनुबन्ध हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाने की अनिवार्यता वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनदेश दिनांक 23 सितम्बर 2008 के अन्तर्गत, पूर्व की भांति यथावत् रहेगी तथापि रू 10.00 लाख तक की निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से आमंत्रित किया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष शर्ते पूर्ववत रहेंगी।

भवदीय
(हरी राम)
उप सचिव

क्रमशः. 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश
2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
3 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश
4 निदेशक उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश
5 निजी सचिव, मा. उप मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0
6 निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री जी, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश
8 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0
9 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
10 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश
11 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., उत्तर प्रदेश एकक, लखनऊ
12 राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स,
13 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ
14 प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
15 महालेखाकार, लेखा परीक्षा - प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय, इलाहाबाद
16 निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ
17 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in